

File No. 23-1215/14 (ST/169(WRO)XII Plan
Dr. Patel R. M.
G. D. Modi College of Arts,
Palanpur, Banaskantha-385001

**U.G.C. Minor Research Project
Summary of the Project**

Title of the Project

**"Relevance of Dharmasutras in the modern
age with reference to
Baudhayana and Guatama Dharmasutras"**

**“बौधायन एवं गौतमधर्मसूत्रों के
सन्दर्भ में धर्मशास्त्रों की साम्प्रत समय में उपादेयता।”**

वेद के अर्थघटन हेतु रचे गये छ वेदाङ्गों में से एक है 'कल्पसूत्र'। कल्पसूत्रों के प्रमुख तीन विभाग है : श्रौतसूत्र, धर्मसूत्र और गृह्यसूत्र। धर्मसूत्र और गृह्यसूत्रों के विषयों में कुछ भिन्नता के साथ अधिक परिमाण में समानता है। दोनों के प्रमुख विषय हैं: सामाजिक संस्थाएँ, वर्णाश्रमधर्म, संस्कार, विभिन्न सामाजिक रीति-रिवाज, यज्ञ-यागादि धार्मिक क्रियाएँ इत्यादि। धर्मसूत्रों को 'धर्मशास्त्र' भी कहते हैं। विषय-वस्तुकी दृष्टि से देखें तो धर्मशास्त्र की विभावना व्यापक है। धर्मशास्त्र में जीवनधर्म, समाजधर्म, आचार-विचारधर्म, सामाजिक एवं धार्मिक रीति-रिवाज इत्यादि विषयों का विश्लेषण करके उनकी आधुनिक समय में भी उपादेयता एवं प्रस्तुतता के प्रति संकेत-निर्देश किया गया है। व्यक्ति, समाज, राष्ट्र एवं धर्म से सम्बद्ध सभी व्यवहारों का आलेखन धर्मसूत्रों में, गृह्यसूत्रों में हुआ है।

सूत्रग्रन्थों की रचना प्राचीन काल में हुई है। समाज एवं धर्म में युगानुसार परिवर्तन होते हैं। धर्मसूत्रों की एवं गृह्यसूत्रों की रचना तत्कालीन समाज एवं धर्म का परीक्षण करके हुई है, तो भी आज अर्वाचीन समय में भी जीवन को संस्कारी बनाने में या जीवन जीने की कला सीखने के लिये ये

धर्मशास्त्रीय ग्रन्थ अत्यंत उपादेय हैं। खास करके बौधायन और गौतम धर्मसूत्रों के अभ्यास को केन्द्र में रखकर धर्मसूत्रों की वर्तमानकालीन उपादेयता एवं प्रस्तुत बताने के लिए इसे संशोधन प्रकल्प (Research Project) की मैंने रचना की है।

धर्मशास्त्रीय विषयों का सविस्तर विश्लेषण करके उनकी साम्प्रत उपादेयता सिद्ध करने के लिए इस प्रकल्प में कुल ७ प्रकरणों की रचना की है।

प्रकरण-१ पूर्वभूमिका -वेदाङ्ग एवं कल्पसूत्र।

प्रकरण-२ धर्मसूत्रों का विषय-विस्तार।

प्रकरण-३ धर्मसूत्रों का संक्षिप्त परिचय।

प्रकरण-४ धर्मसूत्र और गृह्यसूत्र का सम्बन्ध।

प्रकरण-५ गौतम धर्मसूत्र का अभ्यास।

प्रकरण-६ बौधायन धर्मसूत्र का अभ्यास।

प्रकरण-७ बौधायन एवं गौतम धर्मसूत्रों की साम्प्रत समय में प्रस्तुता एवं उपादेयता

प्रकरण-८ समापन

संशोधन-प्रकल्प में समाविष्ट प्रत्येक प्रकरण का सारसंक्षेप (Abstract/Summary) यहाँ प्रस्तुत है -

प्रस्तुत लघु-संशोधन-प्रकल्प में खास करके गौतमधर्मसूत्र और बौधायनधर्मसूत्रों का सविस्तर अभ्यास करके इन सूत्रों की आधुनिक समय में भी व्यक्ति, समाज एवं राष्ट्र के परिष्कार के लिए आवश्यकता है यह सिद्ध करने का प्रयास किया गया है। दूसरे शब्दों में कहें तो आज भी धर्मसूत्रों

की उपादेयता एवं प्रस्तुतता है। प्रकल्प (Project) के विभिन्न प्रकरणों में इस तथ्य का संकेत यथास्थान किया गया है।

भारतीय धर्म एवं धर्मसूत्रादि धर्मशास्त्रीय ग्रन्थ व्यावहारिक जीवन में वास्तविक और आदर्श का समन्वय करते हैं। धर्मसूत्रों में सामाजिक, पारिवारिक, वैयक्तिक और पारलौकिक जीवन पर विचार किया गया है और आचार-व्यवहार-विधि इत्यादि के नियम बनाये गये हैं। भारतीय धर्म वस्तुतः जीवन जीने की कला सीखाता है। अतः धर्मसूत्रों में भी 'धर्म' की व्यापक विभावना के सन्दर्भ में व्यक्ति, समाज एवं राष्ट्र का सर्वांगी विकास हो, ऐसे कानून-नियमों का निर्धारण किया गया है।

भारतीय धर्म तो संपूर्ण मानव-प्राणी-जीवन में व्याप्त है। मानवजीवन की अवधि में भिन्न-भिन्न अवस्था में उस अवस्था से उपयुक्त आश्रमों का विधान संस्कारों की व्यवस्था को और भी पुष्टि प्रदान करता है। धर्म और धर्मसूत्रों में दर्शन, नैतिकता, कानून और शासन के सिद्धान्तों का निरूपण हुआ है। व्यक्ति एवं समाज को स्वस्थ, सुदृढ़ एवं परिशुद्ध रखने के लिये निर्धारित ये विधान-नियम प्राचीन काल में भी उपादेय एवं उपयोगी थे और आज भी उनकी उपयोगिता एवं प्रस्तुतता अक्षुण्ण रही है। हाँ, इन सिद्धान्तों के पालन में आज कुछ शिथिलता अवश्य आई है, कतिपय नियम-सिद्धान्त एवं विधि-विधान लुप्त भी हो गये हैं। किन्तु साम्प्रतकालीन व्यक्ति, समाज एवं राष्ट्र में जो बुराइयों का, अनैतिकता का, भ्रष्टाचार इत्यादि का प्रवेश हुआ है, उनको रोकने के लिए, स्वस्थ व्यक्ति एवं समाज के निर्माण के लिये धर्मसूत्रों के नियम-विधान आज भी प्रस्तुत एवं उपादेय है।

भारतीय संस्कृतिका मूलाधार है आचार। धर्मसूत्र वस्तुतः आचार के नीति-नियम निर्धारित करता है। वशिष्ठधर्मसूत्र (६/१) कहता है : 'आचारः परमो धर्मः' धर्मशास्त्रीय मतानुसार आचार ही सम्मान, दीर्घ-स्वस्थ जीवन और सुख का कारण है। दर्शन और आचारशास्त्र या नीतिशास्त्र का परस्पर अन्योन्याश्रय संबन्ध रहा है।

गौतम और बौधायन दोनों धर्मसूत्रों में 'वर्णाश्रम' का सविस्तर निरूपण किया गया है। हमारी वर्णव्यवस्था मूल रूप में आचार पर आधारित थी, किन्तु जिस समय उसने आचार का विवेक छोड़कर केवल पद और कुल को आधार बनाया तब से वह अपनी अच्छाइयों से भ्रष्ट हो गई। धर्मसूत्रों ने वर्णाश्रम के जो नीतिनियम बनाये हैं, उनकी आज भी आवश्यकता है। वर्णव्यवस्था में 'जन्म' के आधार पर नहीं, किन्तु संस्कार, आचार या योग्यता के अनुसार सम्मान का मानदण्ड बना रहे, तो वर्णव्यवस्था से भी समाज के सभी कर्तव्य-कार्य सुचारु रूप से संपन्न हो सकते हैं।

आज का भारतीय मानव-समाज धीरे-धीरे आश्रम-व्यवस्था से पृथक् होता रहा है। आज विद्यालय-महाविद्यालयों में अध्ययन-अध्यापन का कार्य चल रहा है, किन्तु वहाँ ब्रह्मचर्याश्रम जैसे नियम यथा-उपनयन संस्कार, अविवाहित रहने का नियम एवं गुरु-शिष्य परम्परा का प्रायः अभाव है। यही कारण है कि आज की शिक्षा व्यवस्था अपने स्तर से गिरती जा रही है। हमारे धर्मसूत्रों में गुरु-शिष्य की जो योग्यताएँ बताई हैं, इनका संवर्धन किया जाए तो शिक्षापद्धति के उत्तम परिणाम आज भी प्राप्त हो सकते हैं।

प्राचीन गृहस्थाश्रम पर तो सभी आश्रम आधारित थे। गृह में रहनेवाले सभी सदस्य अपने अपने निर्धारित कर्तव्य पूर्ण करते थे। परिणामस्वरूप सभी आश्रमों एवं पशु-पंखियों का लालन-पोषण होता था। आज के गृहस्थाश्रम में प्रायः प्राचीन मर्यादाएँ समाप्त हो गई हैं। धर्मसूत्रों में गृहस्थाश्रम के लिए वर्णित नियमों का सम्यक् पालन आज का गृहस्थ नहीं करता। प्राचीन समय में गृहस्थाश्रम संपूर्ण समाज का आधार था। उन्हीं के माध्यम से संपूर्ण समाज एवं राष्ट्र सशक्त एवं गतिशील था। पहले गृहस्थ धन का संग्रह अपने लिए नहीं, किन्तु परोपकार करने के लिए करते थे, किन्तु आज यह संग्रह केवल स्वार्थपूर्ति के लिए ही रह गया है। प्राणी-कल्याणकी मूल भावना लुप्त होती जा रही है। धर्मसूत्रों में वर्णित-गृहस्थाश्रम के नियमों का सम्यक् पालन हो, तो आज भी गृहस्थाश्रम धन्य हो जाए, कोई प्राणी भूखा न रहे। सामाजिक समरसता का निर्माण हो।

समापन

वैदिक यज्ञयागादि कर्मकाण्ड का विस्तार ब्राह्मण-ग्रन्थों में हुआ। परिणामस्वरूप कल्पसूत्रों की रचना हुई। ब्राह्मणग्रन्थों के क्रियाकाण्ड इन कल्पसूत्रों में सूत्ररूप में, संक्षेप में प्रस्तुत हुए हैं। चार प्रकार के कल्पसूत्रों में धर्मसूत्र का विशेष महत्त्व है। प्रस्तुत संशोधन-प्रकल्प (Research Project) का केन्द्रवर्ती विषय 'धर्मसूत्र' है। अनेक धर्मसूत्र रचे गये हैं। इन में गौतम एवं बौधायन धर्मसूत्र विशेष मूल्यवान हैं और ये प्राचीनतम भी माने जाते हैं। इस प्रकल्प के द्वारा गौतमधर्मसूत्र और बौधायनधर्मसूत्र का सविस्तर अभ्यास करके, उनके विषयों की आज के संदर्भ में उपादेवता एवं प्रस्तुतता बताने का प्रयास किया गया है। आज भी व्यक्ति, समाज एवं राष्ट्र के परिष्कार-संवर्धन में धर्मशास्त्र-प्रबोधित विधि-विधान अत्यंत उपादेय सिद्ध हुए हैं।

गौतम और बौधायन धर्मसूत्रों के अध्ययन से तत्कालीन समाज की धार्मिक, सामाजिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक विचारधारा का ज्ञान होता है। दोनों धर्मसूत्रकारों का समय ई.पू. १००-५०० के आसपास माना गया है। दोनों धर्मसूत्रों के तुलनात्मक अध्ययन से ज्ञात होता है कि बौधायन धर्मसूत्र गौतम-धर्मसूत्र के बाद की रचना है। गौतम-धर्मसूत्र का बौधायन-धर्मसूत्र पर गहरा प्रभाव भी है, अतः दोनों के विषयों में प्रायः समानता प्रतीत होती है। प्रस्तुत संशोधन प्रकल्प के प्रकरण-३ में दानों धर्मसूत्रों का परिचय दिया गया है।

प्रकरण : २, ५ एवं ६ में खास करके धर्मसूत्रों के विषयों की ससन्दर्भ-सोद्धरण सविस्तर चर्चा-विचारणा की है। विषयों के संबन्ध के अन्य धर्मशास्त्रीय मत भी उद्धृत किये गये हैं। इन सभी के आधार पर यहाँ कुछ निष्कर्ष के रूप में कहने का उपक्रम है।

भारतीय धर्म एवं संस्कृति की एक विशेषता है वर्णाश्रम-व्यवस्था। ऐसी व्यवस्था दुनिया के अन्य धर्मों में नहीं है। धर्मसूत्रों में समाज एवं व्यक्ति को दृष्टि में रखकर बनाई गई वर्णव्यवस्था का स्वरूप सूत्रों में निरूपित है। समाज में कक्षा-शिक्षा-योग्यता आदि के आधार पर विभिन्न वर्ग होते हैं। सभी मनुष्य समान नहीं होते और सभी एक समान कार्य भी नहीं करते हैं। इसी को दृष्टि में रखकर कार्यविभाजन हुआ, और उसी के आचार पर चार वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र बने और चारों

वर्णों के कर्तव्य निश्चित हुए। इन का वर्णन धर्मसूत्रों में किया गया है। व्यक्ति का आजीविका के उपार्जन का कर्म एवं नैतिक आचारण के आधार पर वर्णव्यवस्था का निर्माण प्राचीन काल में हुआ।

जीवन-साफल्य का आधार धर्म-कर्म है। भारतीय धर्म-संस्कृति में प्रत्येक मानव के प्रत्येक उम्र-अवस्था और अवसर-प्रसंग के कर्तव्य निर्धारित किये गये हैं। अवस्था के अनुसार व्यक्ति किसी विशेष जीवन-पुरुषार्थ प्रवृत्ति से प्रेरित होता है। इसी तथ्य को केन्द्र में रखकर चार आश्रमों की व्यवस्था हुई : ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास। इन में गृहस्थाश्रम को सभी धर्मसूत्रकारों ने अधिक महत्त्व प्रदान किया है। गृहस्थाश्रम कर्म, पुरुषार्थ, आजीविकोपार्जन एवं श्रम का जीवन है। दूसरे तीनों आश्रम का आधार गृहस्थाश्रम पर है। जीवन का आरंभ ब्रह्मचर्याश्रम से होता है। जीवन की तैयारी के लिए यह आश्रम है। इस में ज्ञानप्राप्ति के साथ साथ संयम एवं आचार की शिक्षा दी जाती है। प्रायः सभी संस्कार इसी आश्रम में किये जाते हैं।

हमारे प्राचीन भारतीय समाज में चरित्र निर्माण, मेधावी व्यक्तित्व, सामाजिक-धार्मिक कर्तव्यों एवं सांस्कृतिक जीवन की रक्षा के लिए शिक्षा को अनिवार्य माना गया था। धर्मसूत्रों में शिक्षापद्धति के आदर्श नीति-नियमों का प्रतिपादन किया गया है। धर्मसूत्रों के समय में शिक्षा निःशुल्क एवं अनिवार्य थी। उस समय गुरु-शिष्य का पवित्र सम्बन्ध था। यदि कोई छात्र नियमों का उल्लंघन करता था तो उसे उचित दण्ड दिया जाता था। इस प्रकार ब्रह्मचारी अपने कर्मव्य का पालन करता हुआ उत्तरदायित्वपूर्ण नागरिक बनता था। आज की शिक्षा-व्यवस्था में अनेक दूषण प्रविष्ट हुए हैं। उस की चर्चा करना निरर्थक है। प्राचीन शिक्षापद्धति में गुरु-शिष्य के सम्बन्ध में जो नियम बनाये थे, उन का यथोचित पालन आज भी हो, ऐसा प्रयास शासन और समाज के प्रबुद्ध व्यक्तियों को करना आवश्यक है।